



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-906/ २५०६

रायपुर, दिनांक १९/१०/२०२२

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
जॉजगीर चॉपा वनमंडल
छत्तीसगढ़

विषय: - जॉजगीर-चापा जिले के जॉजगीर-चापा वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited द्वारा Construction of Road for Raigarh Mining हेतु क्षेत्रफल 0.997 हे. बाबत।
संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक./2521 दिनांक 13.10.2022
प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/145811/2021

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जॉजगीर-चापा जिले के जॉजगीर-चापा वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु RAIGARH MINING & BENEFICIATION PRIVATE LIMITED द्वारा Construction of Road for Raigarh Mining हेतु क्षेत्रफल 0.997 हे. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव में नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

आनलाईन त्रुटियां :-

1. आनलाईन आवेदन फार्म- II पार्ट-2 के बिन्दु क्रमांक 13. Details of compensatory afforestation scheme में आवेदित क्षेत्र का के.एम.एल अपलोड किया गया है। सही जानकारी अपलोड करें।
2. Form A Part - II में बिन्दु क्रमांक 13 Details of compensatory afforestation scheme (ii) Copy of CA scheme details: में दुगने वृक्षारोपण क्षेत्र का चयन कर वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन अपलोड किया गया है। सुधार करें।

मार्गदर्शी हैण्डबुक अनुसार :-

Diversion of forest land up to one hectare क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (I) के अनुसार वृक्ष विदोहन होता है तो उसका 10 गुना वृक्ष लगाना होगा अथवा यदि कोई वृक्ष विदोहन नहीं होता है तो न्यूनतम 100 वृक्ष के दर से 10 वर्षीय रखरखाव योजना अनुसार वसूल किये जावेंगे। तदनुसार आवेदक संस्थान से मात्र वचनपत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में लगावे एवं आनलाईन अपलोड भी किया जावे।

3. Form A Part - II में बिन्दु क्रमांक 13 Details of compensatory afforestation scheme (iii and iv) में आवेदित क्षेत्र का जियो रिफरेंस एवं टोपोशीट मैप अपलोड किया गया है। सुधार करें।
4. आनलाईन आवेदन फार्म- I पार्ट-2 के बिन्दु क्रमांक 13 Details of compensatory afforestation scheme (v): Copy of NOC from Competent Authority : आवेदक संस्थान का NOC अपलोड किया गया है। सुधार करें।

अतः संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार त्रुटियों का सुधार कर इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-906/ 2469
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 19/10/2022

1. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छत्तीसगढ़
- 2- **Director**, Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited, Hatri Chowk, Saria District- Raigarh, Chhattisgarh.

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़